भाग–2

(सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7–परियोजना/स्कीम का नाम	जवाहर नवोदय विद्यालय मेजा खास प्रयागराज द्वारा गुनई गहरपुर मेजा प्रयागराज से जवाहर नवोदय विद्यालय मेजा खास प्रयागराज कैम्पस तक पेय जल पाईप लाईन बिछाने में प्रभावित0 0311 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(क) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ख) जिला	प्रयागराज
(ग) वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज
(घ) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र(हे0में)	0.0311 हे0
(ड) वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि
(च) हरियाली का घनत्व	0.2
(छ) प्रजातिवार(वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बंध में एफ0ए0एल0–2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	कोई वृक्ष प्रभावित नहीं है।
(ज) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवदेनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	सामान्य
(झ) वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	–
(ञ) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी कारीडोर आदि का भाग है।(यदि हॉ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन जीव वार्डन की टिप्पणियॉ अनुबंधित की जाए)	नहीं।
(ट) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हॉ तो तत्सम्बंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
(ठ) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हॉ तो तत्संबधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं।
8–प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2, में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही, तो जॉचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	0.0311 हे0 आरक्षित वन भूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9– क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य गया	नहीं।

है(हॉ/नही) यदि हॉ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य पर ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बंधी कार्य अभी भी चल रहे है।	
10–प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
क–प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार	संलग्न।
ख– प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न।
ग– रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि	संलग्न
घ– प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	रूपये– 120104.00
ड.– प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र(सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	संलग्न है।
11– वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम–7(ट, ठ) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए(संलग्न करें)	आवश्यक नहीं है।
12–विभाग/जिला प्रोफाइल	वन विभाग
क–जिले का भौगोलिक क्षेत्र	5,28,468.00 हे0
ख–जिले का वन क्षेत्र	21532.6661 हे0
ग–मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	1–221.0338 हे0 (R. F. 6 मामले) 2–54.2462 हे0 (P. F. 66 मामले)
घ–1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण	609.4933 हे0
1–दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	352.8883 हे0
2–वनेत्तर भूमि पर	256.605 हे0
ड–अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	609.4933 हे0
1–वन भूमि पर	352.8883 हे0
2–वनेत्तर भूमि पर	256.605 हे0
13–प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

(रमेश चन्द्र)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज।